

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS  
DEPARTMENT OF FERTILIZERS

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 608 TO BE ANSWERED ON: 04.02.2022

**Revamping of Fertilizer Distribution Mechanism**

**608: SHRI JANARDAN SINGH SIGRIWAL:**

Will the Minister of **CHEMICALS AND FERTILIZERS** be pleased to state:

- (a) whether the Government has any proposal to revamp the Fertilizer Distribution Mechanism in the country, particularly in Bihar;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) if not, the reasons therefor;
- (d) whether there is any proposal to link fertilizer distribution with Aadhaar in near future to curb the corruption involved therein; and
- (e) if so, the details thereof?

**ANSWER**

MINISTER FOR HEALTH & FAMILY WELFARE AND CHEMICALS & FERTILIZERS  
**(DR. MANSUKH MANDAVIYA)**

---

(a) to (c): No such proposal is under consideration. As of now, the fertilizer is being sold at the state/district/village level through fertilizer dealers/retailers whose dealership or retailer ship is governed as per the provisions of Fertilizer (Control) Order, 1985.

(d) & (e): Department of fertilizers has implemented Direct Benefit Transfer (DBT) System across all States/UTs w.e.f. 1<sup>st</sup> March, 2018. Under the DBT system, subsidy on various fertilizer grades is released to the fertilizer companies, on the basis of actual sales made by the retailers to the beneficiaries through Point of Sale (PoS) devices installed at each retailer shop and the beneficiaries are identified through Aadhaar Card (only in case of Assam and J&K, authentication is done through Kisan Credit Card, Voter Identity Card).

XXXXXXX

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 608

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 फरवरी, 2022/15 मार्च, 1943 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरक वितरण तंत्र का पुनरुद्धार**

**608. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर बिहार में उर्वरक वितरण प्रणाली में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या निकट भविष्य में इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उर्वरक वितरण को आधार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री**

**(डा. मनसुख मांडविया)**

**(क) से (ग):** ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आज की तिथि में राज्य/जिला/ग्राम स्तर पर उर्वरक की बिक्री डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के द्वारा की जा रही है जिनकी डीलरशिप या रिटेलरशिप उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के अनुसार शासित होती है।

**(घ) और (ङ.):** उर्वरक विभाग ने 01 मार्च, 2018 से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है। डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रत्येक खुदरा बिक्री दुकान पर लगाए गए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कम्पनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर राजसहायता जारी की जाती है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की जाती है (केवल असम और जम्मू एवं कश्मीर के मामले में प्रमाणीकरण किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र द्वारा किया जाता है)।

XXXXXXXX